तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कृष्ण बनाम रामखिलाड़ी** **अपील संख्या 39/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/239)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट को आवाज दिलवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में पुनः रूक–रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई। उसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस सुनी गई। हमने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि प्रकरण वर्ष 2021 से विचाराधीन चल रहा है जिसमें न्यायालय हाजा का स्थगन भी वर्ष 2021 से ही प्रभावी है तथा दिनांक 28.09.2021 को प्रकरण बहस में नियत हुआ है तथा दिनांक 06.04.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस नही की जा रही है और अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लगभग 13 बार बहस हेतु बार–बार अवसर, अंतिम अवसर लिये गये है। तत्पश्चात् दिनांक 05.09.2023 को अपीलान्ट द्वारा अपना अधिवक्ता बदला गया है और अपीलान्ट के नवीन अधिवक्ता द्वारा भी बहस हेतु 3 बार अवसर लिये जा चुके है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस नही की जा रही है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा से स्थगन प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण के निस्तारण को अनावश्यक ही विलम्ब किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(असलम शेर खान)** अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर।	